न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 80 / 2019

1 जयमल पुत्र मथूरा।
2 कमली पत्नी रामजीलाल।
3 मुकेश पुत्र रामजीलाल।
4 सुभाष पुत्र रामजीलाल।
5 बनारसी पत्नी रूड़ाराम।
6 रामनिवास पुत्र रूड़ाराम।
7 सन्तरा पुत्री रूड़ाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी किशनावाली तन बिहारीपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 दयाराम पुत्र माडूराम।
2 राजेश पुत्र माडूराम।
3 ग्यारसी पत्नी माडूराम समस्त जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी किशनावाली तन बिहारीपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
4 उप पंजियक अधिकारी पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर नीमकाथाना जिला सीकर प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2019 उनवानी दयाराम आदि बनाम कमली आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.07.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 31.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 29/2019 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 द्वारा ग्राम बिहारीपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमियों खसरा नम्बर 670,671,672,673,674,675 कुल किता 7 कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर के बाबत अपीलांट्स व अन्यों के खिलाफ मूल वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो आज दिन भी विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ ही अपीलाधीन प्रार्थना पत्र संख्या 29/2019 उनवानी दयाराम आदि बनाम कमली आदि भी प्रस्तुत किया गया जो आदेश दिनांक 24.07.2019 के द्वारा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से विवादित भूमियों के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने निमित पाबन्द कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस कानूनी स्थिति की ओर गौर नहीं किया गया कि कानूनन एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के खिलाफ किसी तरह की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र इस अवैध निष्कर्ष के आधार प

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में गम्भीर कानूनी त्रुटि कारित की गई है कि बिना विधिवत विभाजन करवाये बिना किसी भी सहखातेदार को कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील किये जाने का प्रथम दृष्टया अधिकार नहीं है। जबकि अपीलांट्स का भूमि खसरा नम्बर 671 में पुराना मकान बना हुआ है, जो जर्जर होने के कारण उसकी मरम्मत करना चाहता है। भूमि खसरा नम्बर 671 पहले से ही अकृषि यानि आबादी भूमि के काम में आ रही है जो जमाबंदी में अंकित इन्द्राजात से ही प्रमाणित है। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ता 3 को विवादित भूमियों में से उनके हक, हिस्से से अधिक के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व इस कानूनी स्थिति की ओर गौर नहीं किया गया कि मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने निमित आदेश केवल मात्र अन्तरिम स्तर पर ही पारित किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन का कोई विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.07.2019 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत किया गया अपीलाधीन प्रार्थना पत्र संख्या 29/2019 दयाराम आदि बनाम कमली आदि खारिज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 670,671,672,673,674,675,679,677,636,637,676 अवस्थित ग्राम बिहारीपुर तहसील नीमकाथाना के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1,4 लगायत 8,11 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है अर्थात विवादित आराजी उपरोक्त पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की है जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है। बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी सह खातेदार को कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील किये जाने का पृथम दृष्टिया अधिकार नही है। अत उभयपक्षो को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

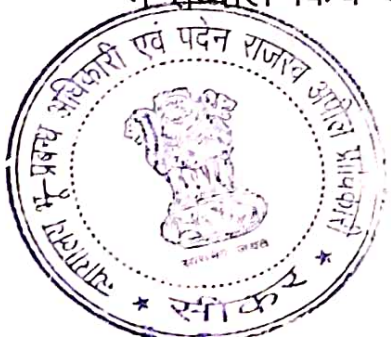

तादौराने वाद विवादित भूमियों की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने का विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 670,671,672,673,674,675,679,677,636,637,676 अवस्थित ग्राम बिहारीपुर तहसील नीमकाथाना के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1,4 लगायत 8,11 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है अर्थात विवादित आराजी उपरोक्त पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की है जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है। बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी सह खातेदार को कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील किये जाने का पृथम दृष्टिया अधिकार नही है। अत उभयपक्षो को तादौराने वाद विवादित भूमियों की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने का विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर